न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0 संख्या 20/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/125

बउनवानीः–1. सलीम पुत्र दीना जाति तेली निवासी करमोदा तहसील सवाई माधोपुर
2. शहजाद पुत्र दीना जाति तेली निवासी करमोदा तहसील सवाई माधोपुर
3. मो0 असलम पुत्र गफ्फार जाति तेली निवासी करमोदा तहसील सवाई माधोपुर
4. फरजाना पुत्री गफ्फार जाति तेली निवासी करमोदा तहसील सवाई माधोपुर
5. रजिया बानो पुत्री गफ्फार जाति तेली निवासी करमोदा तहसील सवाई माधोपुर
6. रूबीना बानो पुत्री गफ्फार जाति तेली निवासी करमोदा तहसील सवाई माधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 25 दिनांक 27.8.1998 वाके ग्राम करमोदा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्टगण
2. श्री तोफिक मोहम्मद — पैरोकार वकील

–: निर्णय :– दिनांक 25..2.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 25 दिनांक 27.8.1998 वाके ग्राम करमोदा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक आदेश जैर अपील नामा0संख्या 25 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता को समस्या समाधान अभियान में किसी तरह का नोटिस नही दिया एवं समस्त कार्यवाही एक पक्षीय एक ही दिन में सम्पन्न कर दी गयी है पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक ने खाता संख्या 251 में अंकित कृषि भूमि साबिक ख0न0 61/3 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा जमाबन्दी मे दर्ज होते हुए भी पटवारी हल्का ने जानबूझकर विवादग्रस्त नामा0 संख्या 25 में दर्ज नही किया जबकि विवादित भूमि ख0न0 61/3 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा ख0न0 890 /1 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का पिता भूमिहीन होने के कारण दिनांक 22.9.1979 को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन की गयी थी एवं पटवारी हल्का करमोदा ने दिनांक 6.4.1979 को आवंटित भूमि पर भौतिक कब्जा सम्भलाया था। उक्त विवादग्रस्त आवंटित भूमि ख0न0 61/3 एवं 890/1 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का पटवारी हल्का करमोदा ने दिनांक 8.9.1979 को नामा0 संख्या 380 अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता के नाम से गैर खातेदारी का भरकर स्वीकृत करवाया गया। विवादित आवंटित भूमि साविक जमाबन्दी सम्वत् 2039 से सम्वत् 2042 तक में खसरा नं० 61/3 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, ख०न० 890/1 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

10 बीघा 16 बिस्वा गैर खातेदारी में दर्ज था एवं विवादग्रस्त नामान्तरकरण 25 के आधार पर पटवारी हल्का करमोदा एवं आई.एल.आर. ढीगला ने राजस्व जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बरों का अवलोकन किये बिना ही मात्र खसरा नं० 890/1 रकबा 2 बीघा को गैर खातेदारी के बजाय खातेदारी में दर्ज कर दिया किन्तु खसरा नं० 61 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा को जानबूझ कर गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज नहीं किया। इसलिये अपीलान्टगणों की ओर से माननीय न्यायालय की शरण लेकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्टगणों का विरासत के अनुसार आज भी भौतिक कब्जा चला आ रहा हैं। साविक खसरा नं० 890/1 रकबा 2 बीघा का भू प्रबन्ध विभाग ने तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं० 1998 रकबा 0.01 है0, ख०न० 1999 रकबा 0.10 है0, ख०न० 2000 रकबा 0.17 है0, ख०न० 1993/1946 रकबा 0.23 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 है0 हाल जमाबन्दी में अपीलान्टगणों के नाम से दर्ज हैं। तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार साविक खसरा नं० 890 का कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा दर्ज था, जिसमें से खसरा नं० 890/1 रकबा 2 बीघा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता को एवं खसरा नं० 890/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जन्सी पुत्र महताब जाति गददी को आवंटन हुई थी, तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नं० 1993 रकबा 0.36 है0 वर्तमान में अख्तर पुत्र जन्सी के नाम से दर्ज है। इस प्रकार साविक खसरा नं० 890 का कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा दर्ज था तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार हाल नवीन खसरा नं० 1993 रकबा 0.36 है0, ख०न० 1998 रकबा 0.01 है0, ख०न० 1999 रकबा 0.10 है0, ख०न० 2000 रकबा 0.17 है0, ख०न० 1993/1946 रकबा 0.23 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 है0 दर्ज किये है। साविक खसरा नं० 61 का कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा साविक राजस्व अभिलेख में दर्ज था। साविक जमाबन्दी सम्वत् 2036 से सम्वत् 2039 के अनुसार खसरा नं० 61 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा के हाल ख0न0 142,143,168,172,173,175,176,203,253, 254/253, 2040,168/2176,151/2177,151,202/2031, 177,180,181,100,202,जिसमे से ख0न0 172,173,175,176,177,142,143,254, 203,168 नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता की मृत्यु होने पर अपीलान्टगणों ने हाल खाता संख्या 103 में अंकित कृषि भूमि में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार सवाई माधोपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 07.08.23 को विरासत का नामान्तरकरण संख्या 606 स्वीकृत होने पर प्रथम जानकारी हुई कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता के नाम से साविक जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार हाल जमाबन्दी में रकबे का इन्द्राज भी नही है इस आधार पर अपीलान्टगणों ने समस्त राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करके बिना किसी देरी के दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गय

तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/एलआर/24/2561 दिनांक 16.5.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के पिता को आवंटित भूमि साबिक ख0न0 890/1 रकबा 2 बीघा की खातेदारी प्रदान की गयी एवं ख0न0 61/3 रकबा 8 बीघा को यथावत गैर खातेदारी मे रखा गया तथा इसी दौरान भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त ख0न0 61/3 को गैर खातेदारी से सिवायचक दर्ज कर दी गयी है जिसमे से वर्तमान नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 20/2023 उनवानी सलीम बनाम सरकार वगै.)

पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील लगभग 25 वर्ष बाद मयाद बाहर पेश की गयी है तथा इतनी देरी से अपील पेश करने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त आवंटन आदेश साबिक ख0न0 61/3 की सीमा तक वर्तमान में प्रभावी है अथवा निरस्त हो चुका है के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा कोई विधिक दस्तावेज पेश नही किये है। यह तर्क भी दिया कि विवादत नामा0 तस्दीक करते समय उक्त ख0न0 पर अपीलान्ट के पिता अथवा अपीलान्ट का कब्जा रहा हो के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किया गया है। तत्समय विवाद ख0न0 पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त नही होने से भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त ख0न0 को गैर खातेदार से सिवायचक दर्ज किया गया होगा। इसलिए नामा0 संख्या 25 दिनांक 27.8.1998 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट के पिता के नाम दिनांक 22.2.1979 को आवंटित भूमि साबिक नम्बर 890/1 रकबा 2 एव ख0न0 61/3 रकबा 8बीघा 15 बिस्वा का गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 380 दिनांक 8.9.1979 को भरा गया तथा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 25 दिनांक 27.8.1998 को गैर खातेदारी से खातेदारी का भरा गया नामा0 मे ख0न0 61/3 का अंकन नही किया गया है। इसलिए ख0न0 61/3 का भी खातेदारी का नामा0 दर्ज करवाया जावे। पैरोकार राजस्व के अनुसार अपील मयाद बाहर लगभग 25 वर्ष बाद पेश की गयी है जिसकी देरी का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त आवंटन आदेश 22.2.1979 साबिक खन0 61/3 की सीमा तक वर्तमान में प्रभावी है अथवा निरस्त हो चुका है के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा कोई विधिक दस्तावेज पेश नही किये है। विवादत नामा0 तस्दीक करते समय उक्त ख0न0 61/3 पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा रहा हो के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 25 दिनांक 27.8.1998 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner